UPKU100016642025

न्यायालय Judicial Magistrate Kasia Kushinagar, Kushi Nagar

पीठासीन अधिकारी– (Mitali Sonkar), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP03722**

Warrant or Summons Criminal Case/1119/2025

State Government of Uttar Pradesh Vs. Navi Alam

सरकार — बनाम — नबी आलम आदि।

मु०अ०सं०–97/2024
धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना–विशुनपुरा, जिला–कुशीनगर।

<u>सुलहनामा निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते निर्णय नियत है।

वादी मुकदमा **हसीना खातून** द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 320 दं०प्र०सं० दिनांकित 28.03.2026 प्रस्तुत किया गया है। वादी मुकदमा **हसीना खातून व चोटहिल सहाबुददीन व जमालुददीन अंसारी** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली में आरोपपत्र **अभियुक्तगण नबी आलम, हसनैन व शबनम खातून** के विरूद्ध प्रेषित किया गया है। **अभियुक्तगण नबी आलम, हसनैन व शबनम खातून** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद वादी मुकदमा **हसीना खातून** द्वारा अभियुक्तण **नबी आलम, हसनैन व शबनम खातून** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० के अधीन दाखिल है।

वादी मुकदमा **हसीना खातून** द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 320 दं०प्र०सं० दिनांकित 28.03.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उभयपक्षों के बीच सुलह हो गयी है। अब कोई विवाद शेष नहीं है। प्रार्थी मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। **चोटहिल सहाबुददीन व जमालुददीन अंसारी ने** यह कथन किया है कि मुझे गिरने सेचोट आयी थी, अभियुक्तगण ने मुझे मारा पीटा नही था। मामला सुलहनामा के स्तर पर समाप्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अभियुक्तगण **नबी आलम, हसनैन व शबनम खातून** समक्ष न्यायालय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त का विचारण न्यायालय की अनुमति से शमनीय प्रकृति का है। वादी मुकदमा **हसीना खातून** स्वयं समक्ष न्यायालय उपस्थित आकर अभियुक्तगण को क्षमा किया है। वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुकदमा को समाप्त किये जाने का कथन किया गया है। धारा–320 दं०प्र०सं० के अधीन शमन का प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा जिससे अपराध का शमन किया गया है। वादी मुकदमा स्वयं मुकदमे को आगे चलाना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में मुकदमे को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः न्यायहित में प्रस्तुत फौजदारी वाद सुलहनामा प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.03.2026 के आधार पर निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उक्त वाद सुलहनामा प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.03.2026 के आधार पर निर्णीत किया जाता है। **अभियुक्तगण नबी आलम, हसनैन व शबनम खातून** पर अधिरोपित आरोप धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० को धारा 320 दं०प्र०सं० के अंतर्गत शमन किया जाता है। अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण पहले से जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र खण्डित किये जाते है तथा उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 07.04.2026

(मिताली सोनकर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, कुशीनगर।
J.O. Code:–UP3722

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक– 07.04.2026

(मिताली सोनकर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया, कुशीनगर।
J.O. Code:–UP3722

Digitally signed by MITALI SONKAR
Date: 2026.04.13 13:14:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court